63

नी मई है अववा निये जाने का विचार है ?

पर्यटल और मानर विभानन वंशालय में राज्य मंत्री(झा० सरीजिनी महिनी): (क) भीर (ब). मध्य प्रदेश के मन्दिरों तथा पर्यटक आकर्षण के भन्य स्थानों का भारत के लिये अधिक विदेशी पर्यटकों की आकर्षित करने की दृष्टि से विदेशों में स्थापक प्रचार किया जाता है। इस संदर्भ में प्रचार-साहित्य का प्रकाशन विभिन्न भाषाओं में किया जाता है और उसका विदेशों में वितरण किया जाता है।

इण्डियन एवर लाइन्स के विमान चालकों से तस्करी सोना बरामंद्र किया जाना

3128 भी हुकम सन्द कछ्याय । भी भनशाह प्रधान ।

नया बिस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या मई, 1971 के दूसरे पलवाडे में डमडम हवाई ग्रहुं पर इण्डियन एयर लाइन्स के डाक विभाग के विभान-चालक कक्ष से बडी मात्रा में सोना बरामद किया गया था:
- (ख) यदि हा तो इस सम्बन्ध में कितने स्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है, और
- (ग) बरामद किये गये सोने का मूस्य कितना है ?

विश मंत्रासय में राज्य मंत्री (श्री के व्यार क्षेत्र): (क) से (ग). दमदम हवाई महे पर 28-5-71 की दो लावारिस बैलों में से 15 किलो माम सोना प्रकड़ा गया या जिसका मूल्य मन्तर्राष्ट्रीय मूझ-दर पर लगमग 1.27 लाख व्यये तथा मारतीय-बाजार दर पर लगमग 2.6 लाख क्ष्ये है। ये बैले इंडियब एयरलाइन्स के एक हवाई जहाज के नर्जीदल के भसवाब के साथ पाये गये वे म कि पायलट की 'के बिन में'। कर्मी वल के एक सकस्य को शिरमतार कर लिया गया या। जन्मों मिजिस्ट्रेट हारा 1 साख रुपये की

जयानत के साथ 25-25 हजार रुपये के चार मुचलकों पर छोड़ दिया गया ।

Captures of Mechanised Vessel carrying samugaled Goods

3129. SHRI S. M. KRISHNA: SHRI P. GANGADEB

Will the Minister of FANANCE be pleased to state:

- (a) whether the Customs officials seized a meachanised vessel on board at Sheel about eight miles of Mangrol Sea Coast in Jungarh district on 12th April, 1971;
- (b) whether some smuggled goods were also recovered from it; and
- (c) if so, the number of persons arrested in this connection?

THE MINISTER OF STATE IN THE FINANCE MINISTRY OF K. R. GANESH): (a) to (c). Vessel M. S. V. Puran Vihar Bedi No. 59 which left Bombay on 5th April, 1971 for Dubai was seized by the Customs authorities of Mangrol Coast on 13th April, 1971. There were 91 passengers with 10 crew members on board. As the passengers had no passports for leaving India, they were charge-sheeted by the Police authorities under the Passport Act 1967 and produced before the Magistrate of Keshod Mangrol (Link) Court on 4th May, 1971. All the accused were sentenced to one day's simple imprisonment till rising of the Court. No smuggled goods were recovered.

Amount collected under the Emergency Risks (Factories) Insurance Act., 1962

3130, SHRI S. N. MISHRA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

- (a) How much amount had been collected by Government under the Emergency Risks (Factories) Insurance Act, 1962 from the date of its operation up to the date of its cessation State-wise;
- (b) how much amount has been paid or given to any of the factories under the said Act up to the end of the financial year 1970-71; an